

IS 15700:2005



सर्वोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-पंचम
नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ-226016



पत्र सं०-

377

/वा0नि0-5 /

सि०प्रा०-2013/25

दिनांक-

12-02-2014

स्वीकृति-पत्र

सेवा में,

मैसर्स एजिया गाया डेवलपमेन्ट प्रा०लि०
द्वारा निदेशक श्री अनिरुद्र सिंह,
बी०-1/87 विनीत खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।
मो०नं०-8400001171

विषय:- ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या 11/GH-08 वृन्दावन योजना लखनऊ के मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

परिषद की वृन्दावन योजना, लखनऊ के सेक्टर-11 में स्थित भूखण्ड सं० 11/GH-08 पर एफ०ए०आर० हेतु निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर किया जाना होगा। वर्तमान में स्थल पर क्रियान्वयन समिति की बैठक दिनांक-19-8-2013 के अनुमोदन के क्रम में स्थल पर क्रियान्वयन किया जाएगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष की होगी। दिनांक-12/2/14 से 11/2/19 तक।
3. स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. यदि उपलब्धि समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है। तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंध अधिकारी से समयावृद्धि प्रमाण प्राप्त कर लिया जाये।
5. यह स्वीकृति प्रस्तावित कुल निर्माण क्षेत्रफल 116086.76 वर्गमी०(बेसमेंट+स्टिल्ट+14) तलों में से 27668.72 वर्ग मी० (बेसमेंट+स्टिल्ट फ्लोर) तलों हेतु निर्माण क्षेत्रफल के लिए 25,332.97 वर्गमी० के भूखण्ड पर प्रदान की गयी है। बेसमेंट फ्लोर एवं स्टिल्ट फ्लोर में पार्किंग प्रस्तावित होने के कारण उसका क्षेत्रफल एफ.ए.आर. में आंगणित नहीं किया गया है। अतः पार्किंग हेतु निर्धारित स्थान में निर्माण की सुनिश्चितता हेतु निर्माण की स्वीकृति केवल बेसमेंट एवं उसके ऊपर एक तल हेतु प्रदान की जाती है।
6. बेसमेंट एवं उसके ऊपर एक तल का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त (सम्बन्धित खण्ड से पुष्टि के पश्चात्) शेष निर्माण 88418.04 वर्गमी० की अनुवर्ती तलों पर स्वीकृति सक्षम स्तर से प्रदान की जा सकेगी। (स्वीकृत मानचित्र सलंगन है।)
7. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई-3 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व 14 दिन पहले देनी होगी। परियोजना प्रबन्धक निर्माण खण्ड-3 व सहायक आवास आयुक्त, वृन्दावन योजना द्वारा स्थल पर निर्माण इसी दशा में अनुमन्य किया जायेगा जबकि सम्बन्धित द्वारा प्रश्रनगत भूमि हेतु परिषद को देय समस्त भुगतान का निर्धारित समयानुसार अद्यतन भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।
8. उपनिदेशक उ० प्र० फायर सर्विसेज लखनऊ के पत्रांक संख्या-प-1843/एफ.एस.-13 दिनांक 01-11-2013 के द्वारा प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों का अनुपालन स्थल पर किया जाना अनिवार्य है। एवं भवन के निर्माण के पश्चात् तथा उपयोग से पूर्व स्थानीय उपनिदेशक उ० प्र० फायर सर्विसेज लखनऊ, से पुनः अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर उपलब्ध कराना होगा।
9. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके।
10. आवंटी द्वारा सलंगन प्रारूप पर पूर्णतया प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा जिसके साथ अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति का प्रमाण पत्र भी सलंगन करना होगा। समयावधि तत्पश्चात् निर्माण कार्य यथामानक सही पाये जाने पर ही पूर्णतया प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।
11. मैसर्स एजिया गाया डेवलपमेन्ट प्रा०लि०, द्वारा स्थल (सार्वजनिक)/मार्ग अथवा सरकारी भूमि का उपयोग भवन सामग्री अम्बार करने की दशा में वह मानचित्र अवमुक्त होने की तिथि से देय शुल्क तथा उस पर 15 प्रतिशत वार्षिक व्याज(अर्द्धवार्षिक चक्रवृद्धि व्याज) मांग पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर परिषद खाते में एकमुश्त जमा करेगा।
12. कम से कम 200 वर्गमी० क्षेत्रफल पर एक पेड़ की दर से वृक्षारोपण अनिवार्य रूप से करना होगा।
13. रेनवाटर हार्वेस्टिंग पद्धति को अनिवार्य रूप से करना होगा।

Q

14. भूकम्परोधी शासनादेश सं० 570-9-आ-12001(भूकम्परोधी/2001/(आ०बा०) दिनांक-3.2.2001 एवं सं० 3751/9-आ-भूकम्परोधी/2001/(आ०बा०) दिनांक 20.7.2001 के अन्तर्गत शर्तें, सेट के एक मानचित्र के पृष्ठ भागों पर चस्पा की गयी है। जिनका अनुसरण करना होगा।
15. आवंटी द्वारा भारतीय विमानन पत्तनम् का अनापत्ति प्रमाण पत्र पत्रांक-ए.ए.आई./एन०ओ०सी०/2013/144/1559 दिनांक-06-06-2013 प्रस्तुत किया गया है, अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लेख को नियम व एवं शर्तों के अनुसार ही भवन की ऊँचाई का निर्माण किया जाएगा।
16. आवंटी द्वारा पर्यावरण निदेशालय के पत्रांक सं-2060/पर्या०/एस.ई.ए.सी./1933/2013/ए.बी.(सब)दिनांक-12-10-2013 द्वारा प्रस्तुत किया है। अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लेख को नियम व एवं शर्तों के अनुसार ही भवन का निर्माण कार्य स्थल पर सम्पादित किया जाएगा।
17. आवंटी द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रेषित नहीं किया गया है जिसके सम्बंध में आवंटी को निर्देशित करते हुए मानचित्र इस प्रतिबंध के साथ स्वीकृत किया जाता है कि गुप हाउसिंग भूखण्ड पर छः महीने के अन्दर उपरोक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही निर्माण की 15.0 मी० से अधिक ऊँचाई का निर्माण किया जा सकेगा।
18. मानचित्र का परीक्षण नेशनल बिल्डिंग कोड के मात्र स्ट्रक्चरल प्राविधानों के अन्तर्गत करते हुए ही अनुज्ञा निर्गत की जा रही है तथा अग्निशमन/सुरक्षा सम्बंधी अन्य समस्त प्राविधानों को स्थानीय मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित कराया जायेगा।
19. परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई-3 के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत भूखण्ड पर निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप स्थल पर किया जा रहा है।
20. प्रश्नगत भूमि पर निर्माण के पश्चात् भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 परिशिष्ट-6 प्रपत्र-ब के अनुसार अध्यासन पूर्व पूर्णतया प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
21. समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेश मान्य होंगे।

सलग्नक:

1. आर्कीटेक्चरल मानचित्रों का एक सेट (8 नग शीट्स)
2. स्ट्रक्चरल डिजाइन्स का एक सेट (12 नग शीट्स)
3. स्ट्रक्चरल व कैलकुलेशन का एक सेट।
4. पूर्णतः प्रमाण पत्र का प्रारूप -ब।

(संजीव कश्यप)

वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी

दिनांक: 12/02/2014.

प्र० सं०:-

/उक्त /

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी लखनऊ को सूचनार्थ।
2. अधीक्षण अभियन्ता-वृन्दावन वृत्त, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को उक्त मानचित्र के एक सेट सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई-3 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को मानचित्रों के एक सेट सहित इस आशय से प्रेषित कि पूर्णता प्रमाण पत्र के आवेदन हेतु प्रपत्र-ब की एक प्रति सलग्न है तथा यह सुनिश्चित करने हेतु कि आवंटी को मलवा सामग्री की छूट दी गयी है, अतः यह सुनिश्चित कर लें कि आवंटी अपने ही भूखण्ड में निर्माण सामग्री एवं मलवा रखेगा। (शर्त सं०-11)
4. सहायक आवास आयुक्त, सम्पत्ति प्रबंध लखनऊ को शर्त सं०-04 व 07 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु।
5. उप निदेशक उ० प्र० फायर सर्विसेज लखनऊ को प्रपत्र -च सहित।

(संजीव कश्यप)

वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी